

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 दरभाष 0522-2720831, फैक्स 0522 - 2720764, 0522-2720676

ई--मेल- <u>info@uppcb.com</u> वेब साइटः <u>www.uppcb.com</u>

पत्रांक 6.33845 | ८-1 | सा० - 100/2020

दिनांक . 08.10.2020

वैधानिक सूचना

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल / रेस्टोरेन्ट्स / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या—400/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं दिनांक 23.07.2020 के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्लो द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट/होटल/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं/अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है:

- a) Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management etc. as enumerated in the guidelines.
- b) Individual to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
 - Consent to Establish under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
 - Consent to Operate under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
 - Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
 - Permission for Ground water Extraction from concerned Authorities, if required.
 - Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
 - Fire safety Certificate/NOC from Concerned Authorities.
- c) Local Authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.

d) The state Board to have robust monitoring mechanisms to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechanism_Guidelines_270820.pdf पर उपलब्ध है। मा० अधिकरण के निर्देशानुसार समस्त संबंधित रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

VA